औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2010 से 3/2013

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में निपटारे हेतु शेष अनुच्छेदों के सत्यापनोपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गईः–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/95

1	पैरा–4 (2) (क)	निर्णीत	(निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0 के पत्र संख्या 36 दिनांक 4.1.2013 के अन्तर्गत प्रदान की गई कार्योत्तर स्वीकृति अनुसार)
2	पैरा–4 (2) (ख)	निर्णीत	(निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0 द्वारा प्रदान की गई कार्योत्तर स्वीकृति अनुसार)
3	पैरा–4 (2) (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा–4 (6) (क)	अनिर्णीत	
5	पैरा–4 (6) (ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा–4 (6) (ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा–4 (6) (घ)	अनिर्णीत	
8	पैरा–4 (6) (ङ)	अनिर्णीत	
9	पैरा–4 (13) (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–4 (13) (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–4 (15) (क)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
12	पैरा–4 (15) (ग)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/1999

1	पैरा–4 (1) (क)	निर्णीत	(निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0 द्वारा प्रदान की गई कार्योत्तर स्वीकृति अनुसार)
2	पैरा–4 (1) (ख से ङ तक)	अनिर्णीत	
3	पैरा–4 (3)	निर्णीत	(निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0 द्वारा प्रदान की गई कार्योत्तर स्वीकृति अनुसार)

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2010

1	पैरा–3	निर्णीत	
2	पैरा–4	निर्णीत	(पैरे को वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित किया गया)
3	पैरा–5	निर्णीत	(राशि चलान संख्या 15 दिनांक 7.8.2006 द्वारा राजकीय कोष में जमा करवाई गई)
4	पैरा–6	निर्णीत	(राशि ₹13500/– दिनांक 29.8.2011 को स्थानान्तरित कर दी गई)
5	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (ii)	निर्णीत	(कार्य आंबटन पत्र के अनुसार)
7	पैरा–7 (iii)	अनिर्णीत	
8	पैरा–8	अनिर्णीत	
9	पैरा–9	अनिर्णीत	
10	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा–11	अनिर्णीत	
13	पैरा–12	निर्णीत	(राशि ₹100 रसीद संख्या 15573 दिनांक 4.7.2013 द्वारा जमा करवाए गये)

<u>भाग–दो</u>

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2010 सें 3/2013 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गये है। श्री अशोक कुमार सूद (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 26.6.2013 से 4.7.2013 तक शाहपुर में किया गया। तथा आय की विस्तृत जॉच हेतु माह 7/2010 7/2011 व 7/2012 तथा व्यय की विस्तृत जॉच हेतु माह 7/2010 7/2011 व 4/2012 का चयन किया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई उस हेतु जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य से आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप मे कार्य किया गया।

(1) संजीव कुमार लखनपाल दिनांक 9.2.2010 से लगातार

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

संस्थान की छात्र निधियों के लेखों अवधि 4/2010 से 3/2013 का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 आंका गया। राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के नाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने हेतु, अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 69 दिनांक 4.7.2013 द्वारा संस्थान प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2010 से 3/2013 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पृष्ठ 1 व 2 पर संलग्न है।

5 सावधि जमा योजनाः—

संस्थान द्वारा छात्र निधि से दिनांक 31.3.2013 को सावधि जमा योजना में ₹3617000/— की राशि निवेशित थी जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

6 राजकीय शुल्क के रूप में प्राप्त राशियों को समयानुसार राजकीय कोष में जमा न करवाया जानाः—

(1) नियमानुसार राजकीय शुल्क के रूप में की गई वसूलियों को वसूली के अगले कार्य दिवस पर राजकीय कोष में जमा करवाया जाना आपेक्षित है। अभिलेख की जॉच में पाया गया कि संस्थान द्वारा उपरोक्त नियमों की पूर्णतयः अवहेलना की जा रही है तथा विभिन्न राजकीय शुल्कों को वसूली उपरान्त राजकीय कोष में जमा न करवा कर पहले उन्हें निधि शुल्क बचत खाते में जमा करवा दिया जाता है तदोपरान्त अपनी मर्जी से उन्हें निकाल कर राजकीय कोष में जमा करवाया जाता है उदाहरण के रूप में शिक्षा सत्र 2010—11 में दिनांक 14.7.2010 से 31.8.2010 तक वसूल किये गये प्रवेश शुल्क की राशि ₹166200.00 तथा शिक्षा शुल्क राशि ₹1183200 को राजकीय कोष में दिनांक 19.10.2010 को जमा करवाया गया इसी प्रकार शिक्षा सत्र 2011—12 में दिनांक 5.7.2011 से 6.9.2011 तक वसूल की गई प्रवेश शुल्क राशि ₹128000/— व शिक्षा शुल्क ₹1333200 कुल ₹1461200 को दिनांक 2.12.2011 को राजकीय कोष में जमा करवाया गया।

अतः नियमों की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक नियमितीकरण करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार राजकीय शुल्क की राशियों का अविलम्ब वसूली उपरान्त राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 (खण्ड—एक) के नियम—2.2 (iv) के अनुसार माह के अन्त में संस्थाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ में दर्शाए जा रहे अन्तशेष का सत्यापन किया जाना आपेक्षित है तथा इस सन्दर्भ में तिथि डालकर हस्तांतरित प्रमाण पत्र का भी दिया जाना आपेक्षित है। रोकड़ की जॉच में पाया गया कि संस्थाध्यक्ष द्वारा नियम की पूर्णतयः अवहेलना की जा रही है तथा किसी भी माह के अन्त में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाए।

7 **<u>सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों को परिपक्वता की तिथि को न भुनाने के कारण ब्याज की राशि ₹190257.00 की हानिः—</u>**

अभिलेख की जॉच में पाया गया कि संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोपरेटिव बैंक लि0, हटली (द्रमण) शाखा में सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता की तिथि पर न भूना कर 4 से 8 माह बाद भूना करके बचत खाते में जमा करवाया गया, बैंक द्वारा परिपक्वता की वास्तविक तिथि उपरान्त जिस दिन यह राशियां परिपक्व करवाई गई अवधि का कोई ब्याज नहीं दिया गया अगर यह राशियां परिपक्वता की तिथि को बचत खाते में डाल दी जाती तो इन राशियों पर बचत खाते में ब्याज अर्जित होता इस प्रकार सम्बन्धित कर्मचारियों की लापरवाही के कारण संस्थान को राशि ₹190257/— की हानि ब्याज के रूप मे हुई। अतः हुई हानि के सन्दर्भ में जिम्मेवारी निर्धारित कर अथवा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए। राशि का विवरण निम्नलिखित हैः—

एफ0डी0आर0 नं0	Date of Open	Deposit Amount	Date of Maturity	Amount of Maturity	Actual Date of Maturity	Period by which maturity made late	Amount of interest on amount at interest
453/6/1929	19.5.2004	200000	19.5.2012	339935	3.9.2012	3 माह	3399
455/6/1931	19.5.2004	100000	19.5.2012	169967	3.9.2012	3 माह	1699
296/2004/8948 P.N.B. Shahpur	25.8.2004	150000	25.8.2011	247960	25.4.2012	8 माह	6612
1931	3.3.2006	1700000	3.3.2011	2538073	24.3.2012	13 माह	109983
1929	29.2.2008	1150000	28.2.2011	1524140	24.3.2012	13 माह	66046
1834/504725 to 504732	3.8.2009	600000	3.8.2012	755368	4.9.2012	1 माह	2518
						योग	190257

8 **<u>उचित वित्तीय प्रबन्धन न होने के कारण सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों को अनावश्यक रूप से समय से पूर्व भुनाने के कारण ब्याज के रूप में हुई हानि के सन्दर्भ में:—</u>**

(क) संस्थान के संचालक समिति की दिनाक 8.9.2011 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या 6 के अन्तर्गत प्रार्थना स्थल से बिजली के ट्रांसफार्मर अन्य स्थान पर लगाने की संस्तुति

प्रदान की गई जिस हेतु राशि ₹1444830 हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम के पास जमा करवाने की अनुमति प्रदान की गई जिस हेतु निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा अपने आदेश संख्या 1254 दिनांक 19.11.2011 द्वारा भवन निधि से राशि भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई। जांच में पाया गया कि दिनांक 22.11.2011 को संस्थान द्वारा विभिन्न निधियों की जमा राशियों में से इस राशि ₹1444830/– का हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को भुगतान कर दिया गया। इस भुगतान के दो दिन बाद इस राशि के भुगतान हेतु हिमाचल प्रदेश कोप0बैंक लिमिटेड, हटली (द्रमण) शाखा में सावधि जमा योजना में निवेशित 2 नं0 एफ0डी0आर0 को समय से पूर्व परिपक्व करवाकर विभिन्न निधियों में परिपक्व राशि का ईन्द्राज लेकर बचत खाते में जमा करवा दिया गया जिनका विवरण निम्नलिखित है।

एफ0डी0आर0 सं0	निवेश की तिथि	राशि	दर	परिपक्वता की तिथि	राशि	परिपक्वता की वास्तविक तिथि	दर	प्राप्त राशि (₹)
851/6/1928	19.5.2009	532146	8.25%	19.5.2012	679869	24.11.2011	7.25%	637489
454/8/1930	19.5.2009	1064292	8.25%	19.5.2012	1359783	24.11.2011	7.25%	1274979

(1) जब विद्युत निगम के पास पैसा 22.11.2011 को जमा करवा दिया गया था अर्थात संथान के पास पैसा जमा कराने हेतु बचत खाते में पूर्ण पैसा पड़ा था तो दो दिन बाद केवल 6 माह पूर्व ही निवेशित राशियों पर 1% की दर पर कम ब्याज अर्जित कर व कुल राशि ₹127184 के ब्याज की हानि उठाते हुए राशि परिपक्वत करवाने का क्या औचित्य था। त्रुटि बारे स्थिति ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए व निधि लेखा को हुई हानि बारे जिम्मेवारी नियमानुसार निर्धारित की जाए।

(2) इसके अतिरिक्त स्पष्ट किया जाए कि राशि ₹1444830 के भुगतान हेतु एफ0डी0आर0 संख्या 454/6/1930 से प्रर्याप्त संख्या में राशि ₹1274979/– प्राप्त हो गये थे तो एफ0डी0आर0 संख्या 851/6/1928 को परिपक्व कराने की क्या आवश्यकता पड़ी जिसके अनावश्यक परिपक्वता के कारण संस्थान को ₹42380/– का हानि हुई। अतः की गई कार्यवाही को ठोस तथ्यों सहित उचित ठहराया जाए अन्यथा हुई हानि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(3) क्योंकि निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा भुगतान भवन निधि से करने की अनुमति प्रदान की थी परन्तु भुगतान विभिन्न निधियो से किया गया है। अतः की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए अन्यथा भवन निधि से प्रतिपूर्ति कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) उपरोक्त वर्णित पैरे की तरह संस्थान द्वारा 40000 लीटर क्षमता वाला ओवरहैड टैंक लगाने हेतु आई0पी0एच0 विभाग के पास दिनांक 16.12.2011 को राशि ₹798500/– जमा करवाए गये इस हेतु निदेशक, तकनीकी शिक्षा पत्र संख्या 1352 दिनांक 2.12.2011 द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

संस्थान द्वारा इस राशि के भुगतान हेतु हिमाचल स्टेट कोपरेटिव बैंक में निवेशित एफ0डी0आर0 संख्या 178911 खाता संख्या 1833/6 जो दिनांक 18.10.2008 को राशि ₹404057 के साथ 9**%** की दर पर राशि ₹689227/–परिपक्वता मूल्य के साथ 6 वर्ष के लिए निवेश की गई थी, को दिनांक 15.12.2011 को 7.75**%** की दर पर ब्याज अर्जित कर राशि ₹514951/–के परिपक्वता मूल्य के साथ परिपक्व करवाकर बचत खाते में जमा करवा दिया।

अभिलेख की जॉच में पाया गया कि दिनांक 16.12.2011 को संस्थान के पास विभिन्न निधियों के राशि ₹2165878/– जमा थे। अतः इतनी बड़ी राशि के पड़े होने पर भी सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को 1.25**%** कम ब्याज अर्जित करते हुये परिपक्व कराने को ठोस तथ्यों सहित उचित ठहराया जाए अन्यथा हुई हानि ₹15994 हेतु जिम्मेवारी नियमानुसार निर्धारित करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 शिक्षा शुल्क व प्रवेश शुल्क राशि ₹13000/– की वसूली न करनाः–

अभिलेख की जॉच में पाया गया कि निम्न वर्णित छात्रों से फीस वसूली करते समय विभिन्न छात्र निधि शुल्कों की वसूली की गई परन्तु उनसे नियमानुसार प्रवेश शुल्क व शिक्षा शुल्क की वसूली नहीं की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा शुल्क की वसूली करके राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। जिन छात्रों से शुल्क वसूली नहीं की गई उनका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	नाम	ट्रेड	राशि प्रवेश शुल्क	शिक्षा शुल्क
1	14807	12.7.2012	संजीव कुमार	मकैनिकल	₹200	₹2400
2	14809	12.7.2012	विशाल डोगरा	बैल्डर	₹200	₹2400
3	14810	12.7.2012	कुलदीप कुमार	पलम्बर	₹200	₹2400
4	14811	12.7.2012	कुलविन्द्र कुमार	पलम्बर	₹200	₹2400
5	14814	12.7.2012	मनीश कुमार	पलम्बर	₹200	₹2400
			कुल राशि		₹1000	₹12000

10 **अंशकालीन (अनुबन्ध के आधार पर तैनात) सफाई कर्मचारी को राशि ₹16410/– का अनुचित भुगतानः–**

संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से अनुबन्ध के आधार पर एक अंश कालीन सफाई कर्मचारी श्री मदन लाल प्रति घण्टे की दर पर, संस्थान में प्रतिदिन 4 घण्टे तक सफाई कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया।

सम्बन्धित कर्मचारी के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच में पाया गया कि संस्थान प्रशासन द्वारा कर्मचारी को प्रत्येक माह अवकाश वाले दिनों (रविवार व अन्य अवकाश वाले दिनो) के लिए भी भुगतान कर दिया गया जबकि संस्थान बन्द था तथा कर्मचारी द्वारा कोई कार्य नहीं नहीं किया गया। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के तीन वर्ष में कर्मचारी को कुल ₹16410/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण साथ संलग्न है।

अतः किए गए भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Detail of Honorarium paid to Sh. Madan Lal Sweeper engaged on part time (Contract basis) w.e.f April, 2010 to March, 2013

Sr. No.	Salary for the month	Per Hour Rate	Total Days of Month	Actual Days of Working	Amount for Actual Working Days	Amount Paid	Difference
1	April, 2010	14.5	30	23	1334	1740	406
2	May, 2010	14.5	31	26	1508	1798	290
3	June, 2010	14.5	30	24	1392	1740	348
4	July, 2010	14.5	31	26	1508	1798	290
5	August, 2010	14.5	31	25	1450	1798	348
6	September, 2010	14.5	30	23	1334	1740	406
7	October, 2010	14.5	31	23	1334	1798	464
8	November, 2010	14.5	30	22	1276	1798	522
9	December, 2010	14.5	31	23	1334	1798	464
10	January, 2011	14.5	31	21	1218	1798	580
11	February, 2011	16	28	22	1408	1792	384
12	March, 2011	16	31	25	1600	1984	384
13	April, 2011	16	30	22	1408	1920	512
14	May, 2011	16	31	22	1408	1984	576
15	June, 2011	16	30	24	1536	1920	384
16	July, 2011	16	31	25	1600	1984	384
17	August, 2011	16	31	21	1344	1856	512
18	September, 2011	16	30	24	1536	1920	384
19	October, 2011	16	31	22	1408	1984	576
20	November, 2011	16	30	22	1408	1920	512
21	December, 2011	16	31	25	1600	1984	384
22	January, 2012	16	31	23	1472	1984	512
23	February, 2012	16	29	22	1408	1856	448
24	March, 2012	16	31	25	1600	1984	384
25	April, 2012	16	30	23	1472	1920	448
26	May, 2012	17	31	26	1768	2108	340

27	June, 2012	17	30	24	1632	2040	408
28	July, 2012	17	31	25	1700	2108	408
29	August, 2012	17	31	19	1292	1768	476
30	September, 2012	19	30	23	1748	2280	532
31	October, 2012	19	31	23	1748	2356	608
32	November, 2012	19	30	23	1748	2280	532
33	December, 2012	19	31	24	1824	2356	532
34	January, 2013	19	31	22	1672	2356	684
35	February, 2013	19	28	22	1672	2128	456
36	March, 2013	19	31	24	1824	2356	532
						Total	**16410**

11 दिनांक 1.3.2012 को राशि ₹25 लाख हिमाचल प्रदेश एस0आई0डी0सी0 के पास Center of Excellency भवन के निर्माण हेतु जमा करवाये गये। क्योंकि यह एक केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित योजना है तथा इस भवन का निर्माण केन्द्र सरकार के वित्तीय अनुदान से किया जाना है। छात्र निधि से किये गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस राशि की उचित स्त्रोत से की जाए व राशि छात्र निधि में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

12 <u>11 कम्पयूटरों की खरीद खुले बाजार से अनियमित रूप से करनाः—</u>

निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्र संख्या 194 दिनांक 20.1.2012 के अन्तर्गत छात्र कल्याण निधि से 11 कम्पयूटरों की खरीद करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि कम्पयूटर दर संविदा के आधार पर हिमाचल प्रदेश ईलैक्ट्रोनिक कार्पोरेशन से खरीदे जाए।

अभिलेख की जॉच में पाया गया कि संस्थान प्रशासन द्वारा आदेशों की अवहेलना कर मै0 रूद्रा ईनफोटैक धर्मशाला से 11 कम्पयूटर की खरीद की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

11 डैस्क टॉप कम्पयूटर	₹428274
11 यू0पी0एस0	₹53200
कुल भुगतान की गई राशि	₹481474

(क) निदेशक, तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना न करने व हिमाचल प्रदेश ईलैक्ट्रोनिक कार्पोरेशन से कम्पयूटर की खरीद न करने का कारण स्पष्ट किया जाऐ।

(ख) खुले बाजार से क्रय किये गए कम्पयूटर की दरों का मिलान हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रानिक निगम की दरों के साथ किया जाए व यदि उक्त खरीद में अधिक भुगतान किया गया है तो उसकी क्षतिपूर्ती उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) आदेशों की अनुपालना न करके की गई इस खरीद के सन्दर्भ में निदेशक तकनीकी शिक्षा से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

13 छात्र कल्याण निधि से कर्मचारियों को मानदेय के रूप में अनियमित भुगतानः–

वाऊचर संख्या 1 माह 4/2012 के अन्तर्गत छात्र कल्याण निधि से निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके माह 3/2012 के वेतन/मानदेय का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	नाम	राशि (₹)
1	श्री निदेशक कुमार	14100
2	श्री सुभाष चन्द	13645
3	श्री राकेश कुमार	11340
4	श्री अजय कुमार	13900
5	श्री नवीन कुमार	12510
6	श्री रमण कुमार	13900

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या शिक्षा–(टी0ई0) ए (3) 2/2004 दिनांक 8.7.2010 के अनुसार छात्र कल्याण निधि का संचालन व उपयोग, संस्थान प्रधानाचार्य द्वारा छात्र कल्याण समिति, जो 50:50 के अनुपात में छात्रों व संस्थान कर्मचारियों के चयन द्वारा गठित होगी, की संस्तुति पर किया जायेगा। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु समिति द्वारा न तो कोई प्रस्ताव पारित किया और न ही कोई सहमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त किया गया व्यय छात्र निधि पर वैध प्रभार भी नहीं था। अतः नियमों की अवहेलना कर, की गई नियुक्ति व भुगतान का कारण स्पष्ट करते हुए की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाए अन्यथा सक्षम अधकारी से इस चूक हेतु कार्योत्तर अधिकारी से इस चूक हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर इसे नियमित करवाया जाये।

14 प्रतिभूति राशि ₹14500/– को जब्त करनाः–

संस्थान प्रतिभूति राशि रजिस्टरों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि नीचे दर्शाये गये विवरण के अनुसार विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा संस्थान छोडने के वर्ष तक अपनी/जमानत राशियों का भुगतान प्रापत नहीं किया गया। अतः प्रधानाचार्य को परामर्श दिया जाता है कि वह हिमाचल प्रशिक्षण विवरण पुस्तिका" के नियम 42 के अनुरूप कार्यवाही करके इन राशियों को जब्त करने उपरान्त "विद्यार्थी कल्याण निधि" के अन्तर्गत हस्तांतरित जमा करवाते हुए की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	शिक्षा स्तर	नाम	टैंड	राशि (₹)
1	2007–08	सतपाल	Carpenter	500
2	2007–08	रामशेर सिंह	Driver-cum-Mech.	500
3	2007–08	नितिश सूद	COPA	500
4	2008–09	सचिन	Instrument Mechanic	500
5	2008–09	शिव राम	COPA	500
6	2009–10	कमलेश कुमार	Carpenter	500
7	2009–11	चन्द्रभान	Turner	500
8	2009–11	शाम सिंह	Turner	500
9	2009–11	शतीश कुमार	Instrument Music	500
10	2009–11	बलवीर सिंह	Instrument Music	500
11	2009–11	गणेश कुमार	Fitter	500
12	2009–11	राकेश डोगरा	Fitter	500
13	2009–11	सन्दीप सिंह	Fitter	500
14	2009–11	विपिन कुमार	Fitter	500
15	2009–11	गोविन्द सिंह	Draughrsman	500
16	2009–11	सुमन कुमारी	Surveyor	500
17	2009–11	सरोज देवी	Surveyor	500
18	2009–11	ज्योति शर्मा	Surveyor	500
19	2009–11	टिंकू	Surveyor	500

20	2010–11	अमित कुमार	Weldar	500
21	2010–11	घनशाम	M/Tracer	500
22	2010–11	विवेक	M/Tracer	500
23	2010–11	बलविन्द्र सिंह	Pump/Mech.	500
24	2010–11	नवीश मन्हास	Embroidery	500
25	2010–11	अन्जना कुमारी	Steno English	500
26	2010–11	शुषमा देवी	Steno English	500
27	2010–11	किशन चन्द	Carpenter	500
28	2010–11	सन्दीप	Fruit & Veg. Preservation	500
29	2010–11	चम्पा कुमारी	Fruit & Veg. Preservation	500

15 **संस्थान में समय–समय पर आयोजित की गई राज्य स्त्तरीय व जिला स्त्तरीय खेल प्रतियोगिताओं पर छात्र कल्याण निधि से अनियमित/अनुचित व्ययः–**

राज्य खेल परिषद/जिला खेल परिषद के निर्णय अनुसार विभिन्न राज्य स्त्तरीय/जिला स्त्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अथवा व्यय, वसूल की गई अंशदान/चंदा राशि (₹150 प्रति खिलाड़ी या कम से कम ₹1000/– प्रति संस्थान) तथा प्रत्येक स्पर्धा प्रवेश शुल्क (₹100 प्रति मैच) से की जायेगी तथा आयोजक संस्थान की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है कि वह प्रत्येक प्रतियोगिता की विभिन्न वसूलियों व व्यय से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करेंगें।

अभिलेख की जांच में पाया गया कि संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक प्रतियोगिता की आय व व्यय से सम्बन्धित अलग से अभिलेख तैयार न कर वसूल की गई राशियों को छात्र कल्याण निधि में जमा कर निधि से तदोपरान्त विभिन्न व्यय किए गये तथा व्यय की राशि को प्राप्त वसूलियों तक सीमित न रख कर वसूलियों से अधिक राशि संस्थान की छात्र कल्याण निधि से कर दी गई जो संस्थान की छात्र कल्याण निधि का दुरूपयोग था व किसी प्रकार से भी उचित नही ठहराया जा सकता। क्योंकि संस्थान की छात्र कल्याण निधि का प्रयोग केवल संस्थान के छात्रों के कल्याणार्थ व निधि उद्देश्यों पर किया जा सकता है। अतः संस्थान की छात्र कल्याण निधि से राज्य व जिला स्त्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर किए गये व्यय को

नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति कर राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	प्रतियोगिता का विवरण	वसूल की गई राशि (₹)	व्यय की गई राशि (₹)	अधिक व्यय की गई राशि (₹)
1	दिनांक 9.6.2010 से 11.6.2010 मे सम्पन्न हुई जिला खेल प्रतियोगिताऐं	42650	71844	29194
2	दिनांक 20.6.2010 से 22.6.210 तक सम्पन्न हुआ जिला स्तरीय अन्तिम चयन टूर्नामैन्ट	27880	66811	38931
3	दिनांक 27.4.2011 से 2.5.2011 तक सम्पन्न हुई 23वीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता	130620	43350	87270
4	दिनांक 28.2.13 से 4.3.13 तक तथा 4.3.13 से 6.3.13 तक सम्पन्न हुई क्रमशः छात्र व छात्राओं की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताऐं	97022	—	97022
	कुल अधिक व्यय की गई राशि			**252417**

17 **(i)** दिनांक 2.7.2010 को परीक्षा शुल्क निधि से राशि ₹80000/– ऋण के रूप में भवन निधि को स्थानान्तरित किये गये। इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर व ऋण की राशि वापिस निधि में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाऐ।

(i) जॉच में पाया गया कि समय–समय पर प्रशासन द्वारा एक निधि से दूसरी निधि को ऋण के रूप में जो राशि प्रदान की जाती है उसका कहीं कोई ऋण रजिस्टर/अग्रधन रजिस्टर ईन्द्राज नहीं लिया जाता है जिससे यह पता चल सके कि कब, कितनी राशि स्थानान्तरित की गई व कब निधि खाते में वापिस जमा करवाई गई। अतः वर्णित आवश्यक अभिलेख तैयार न करने का

कारण स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अभिलेख का तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

18 <u>अनुपस्थिति शुल्कः–</u>

(i) अभिलेख की जॉच में पाया गया कि निम्न वर्णित ट्रेड के छात्रों से वसूल किये गये अनुपस्थिति शुल्क को सम्बन्धित निधि में जमा नहीं करवाया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस चूक हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाते हुऐ व राशि की वसूली कर निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। राशियों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0सं0	ट्रेड का नाम	माह	शुल्क राशि
1	फिटर	7/2011	140
2	टर्नर (2009–2011)	7/2011	75
3	आई0टी0 व ई0एस0एच0	7/2010	50
4	पम्प ओपरेटर एवं मशीन ओपरेटर	7/2011	355
			620

(ii) अभिलेख की जॉच में पाया गया कि विभिन्न ट्रेड के अध्यापकों द्वारा सम्बन्धित छात्रों से अनुपस्थिति शुल्क वसूली उपरान्त अगले माह सम्बन्धित निधि में जमा न करवा कर अपनी मर्जी से जमा करवाया गया उदाहरण के रूप में कम्पयूटर ट्रेड का माह जुलाई 2011 का अनुपस्थिति शुल्क दिनांक 20.9.2011 को अनुपस्थिति शुल्क निधि में जमा करवाया गया। शुल्क वसूली उपरान्त सम्बन्धित निधि में जमा न करवाना एक गम्भीर अनियमितता है। इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाऐ तथा भविष्य में शुल्क वसूली उपरान्त सम्बन्धित छात्र निधि में अविलम्ब जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 <u>वाऊचर संख्या 10 के अन्तर्गत श्री रूप लाल को सुन्दरनगर से शाहपुर तक विवरण पुस्तिकाएं लाने पर निम्नलिखित भुगतान किया गयाः–</u>

यात्रा की तिथि	टैक्सी का व्यय	सामान चड़ाने का व्यय	सामान उतारने का व्यय	कुल व्यय
25.6.2010	380 कि0मी0 ₹8 प्रतिकिलों मीटर की दर पर ₹3040	₹280	₹240	₹3560
28.6.2010	380 कि0मी0 ₹8 प्रतिकिलों मीटर की दर पर ₹3040	₹120	₹100	₹3260
		कुल व्यय की गई राशि		**₹6820**

(क) वर्णित व्यय छात्र कल्याण निधि पर उचित प्रभार नहीं था। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि छात्र निधि में जमा करवाएं।

20 <u>₹1000/– का सम्भावित दुरूपयोगः–</u>

(क) वाऊचर संख्या 8 माह जुलाई 2011 के अन्तर्गत राशि ₹1000/– का भुगतान श्री अश्वनी कुमार को किया गया दर्शाया गया।

अपने प्रार्थना पत्र में श्री अश्वनी कुमार द्वारा प्रार्थना की गई, क्योंकि उसके द्वारा अपना ट्रेड बदल कर मैकेनिक ट्रेड कर लिया है। अतः उसके द्वारा जमा करवाई गई कम्पयूटर फीस राशि ₹1000/– उसे वापिस की जाए।

जॉच में पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा यह लिख कर राशि प्राप्त कर ली गई कि "राशि प्राप्त की" इसके अतिरिक्त इस रसीद पर छात्र के हस्ताक्षर व प्रार्थना पत्र पर किये गये हस्ताक्षर पूर्णतयः भिन्न है। यह भुगतान संस्थान प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित भी नहीं था।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा राशि का दुरूपयोग किया गया है त्रुटि बारे सिंिति स्पष्ट की जाए। इस सन्दर्भ में उच्च स्त्तरीय जॉच अमल में लाई जाए तथा दुरूपयोग की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त की तरह जॉच में पाया गया कि वाऊचर संख्या 15 दिनांक 29.7.2011 के अन्तर्गत छात्रों की जमा प्रतिभूति राशि वापिस करने हेतु कुल राशि ₹149700/– की निकासी की गई। जॉच में पाया गया कि निम्न वर्णित छात्रों के प्रार्थना पत्र व उनके द्वारा राशि प्राप्ति की रसीद पर किये गये हस्ताक्षर पूर्णतयः भिन्न है जो किये गये भुगतान पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारा नहीं जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में उच्च स्तरीय जॉच अमल में लाई जाए तथा दुरूपयोग की अवस्था में उचित कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाते हुये अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। छात्रों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0सं0	ट्रेड	छात्र का नाम
1	टर्नर ट्रेड 2009–2011	श्री राकेश कुमार
2	टर्नर ट्रेड 2009–2011	श्री बम्पी शर्मा
3	मकैनिक ट्रेड	श्री जगदीश
4	फिटर ट्रेड	श्री सुशील कुमार
5	फिटर ट्रेड	श्री सुमित कुमार
6	सर्वेयर ट्रेड	श्री अनिल कुमार
7	सर्वेयर ट्रेड	श्री अभिशेक
8	सर्वेयर ट्रेड	श्री सन्नी कुमार
9	सर्वेयर ट्रेड	श्री अरूण कुमार

21 अन्यः–

(i) दिनांक 21.4.2012 को निधि से राशि ₹33484/– का भुगतान संस्थान के विद्युत बिलों हेतु किया गया। इस राशि की निकासी इस शर्त पर की गई कि जब सरकार से राशि प्राप्त होगी इसे वापिस जमा करवा दिया जायेगा। अतः राशि वापिस जमा करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ii) वाऊचर संख्या 14/2 माह 7/2011 के अन्तर्गत श्री शिव कुमार, टैक्सी चालक को ₹1428 का भुगतान ₹6.00 प्रति किलोमीटर की दर पर ₹238 किलोमीटर टैक्सी के द्वारा संस्थान प्रधानाचार्य द्वारा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के निरीक्षण करने हेतु की गई। यह व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अतः किये गये व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

22 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

23 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2)सी(15)11(2) 415/88 खण्ड–2 दिनांक, 4.12.2013 शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–9 को अतिशीघ्र भेजे।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार

4 श्री अशोक कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........

हस्ता/
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.